पत्र संख्या–14 / डी0एल0ए0 कटिहार (रा0उ0प0) 50 / 2012– पटना–15, दि0–

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन शाखा)

–:अधिसूचना :–

संख्या– 1294 /रा. भू–अर्जन कटिहार , दिनांक– 17–05–13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा सिरन्डा थाना नं० 180 थाना प्राणपुर जिला कटिहार में सार्वजनिक परियोजनार्थ मौजा सिरन्डा के अन्तर्गत 44.330 कि०मी० से 45.00 कि०मी० तक राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजनार्थ पुर्वोक्त ग्राम सिरन्डा के भीतर एक भू खण्ड अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 1.62½ एकड़ (एक एकड़ साढ़े बासठ डिसमल) के बराबर होता है। मौजा सिरन्डा थाना नं० 180 जिसका खेसरा नं० 2200,2201,2203, 2204 एवं 2205 का अंश जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

मौजा – सिरन्डा थाना नं० 180

उत्तर :– मौजा सिरन्डा थाना नं० 180 का सर्वे खेसरा नं० 2200,2201,2203,2204, एवं 2205

पूरब :– मौजा सिरन्डा थाना नं० 180 का सर्वे खेसरा नं० 2205 एवं खेसरा नं० 2212 एवं मौजा प्राणपुर थाना नं० 268

दक्षिण :– मौजा सिरन्डा थाना नं० 180 एवं मौजा प्राणपुर थाना नं० 268 का संयुक्त सीमा रेखा।

पश्चिम :– मौजा सिरन्डा थाना नं० 180 का सर्वे खेसरा नं० 2200 का पूर्व अर्जित भूमि।

यह अधिसूचना बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा (यथा संशोधित)अधिनियम 1–1884 एवं 1–1984 की धारा –4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार एवं अंचल पदाधिकारी प्राणपुर और उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे उनके कर्मचारी भूमि में प्रवेश कर भूमि का सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) मे यथा उपबंधित या विनिदिष्ट अपने कार्यो के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

और चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि कृषि योग्य है तथा इसकी तुरन्त अर्जन आवश्यक है, इसलिए उस अधिनियम की धारा 17 के उप धारा (4) के अधिन आदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि पर लागू नही होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी कटिहार | **अपर समाहर्त्ता कटिहार** | **समाहर्त्ता कटिहार** | **सरकार के अवर सचिव**

ज्ञापांक– 1294 /रा. दिनांक :– 17–05–13

प्रतिलिपि :– तीन अतिरिक्त प्रतियां सी० डी० के साथ, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी कटिहार को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी उप समाहर्त्ता जिला गजट कटिहार को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की पॉँच प्रतियां जिला भू–अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता / जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव